न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2015 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्री रामा पिता श्री देवजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री मगन पिता श्री भावजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बंसवाड़ा (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री बदामीलाल पिता श्री रावजी भील निवासी बरजाडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री दलजी पिता श्री रावजी भील निवासी बरजाडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्रीमान् भूमिधारी` तहसीलदार आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा दिनांक 30–12–2014 प्रकरण संख्या 01/2011

––––/––––

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भगवतपुरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2
3– राजकीय अधिवक्ता

आ दे श **दिनांक 22–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध नियम–14 (4) भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम) 1970 के तहत एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरजड़िया की आराजी नंबर 200/2 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज है। भूमि पथरीली है, जहां पर

प्रार्थी के मकान बने है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हक व कब्जा नहीं है, न ही उन्होंने कभी मौके पर काश्त की है, परन्तु उक्त आराजी के हाल सर्वे नंबर 310, 320, 321, 711 कूल किता–4 रकबा .56 हैक्टर का अवैध रूप से दिनांक 17–6–1992 को आराजी संख्या 200/2 का आवंटन फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन से विधि विरूद्ध कर दिया गया है। आवंटन सर्वे नंबर 200/2 का किया गया है, परन्तु अन्य आराजीयात का अस्थाई आवंटन आराजी नंबर 317, 318 इत्यादि का स्थाई आवंटन बताया गया है। आराजी नंबर 200/2 का आवंटन विधि विरूद्ध है। आवंटी का कब्जा नहीं है। आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं है। परिवार के सदस्य के राजकीय कर्मचारी होने पर कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। जबकि आवंटी का पुत्र आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या–1 राजकीय अध्यापक था। पटवारी ने मौके की सही रिपोर्ट नहीं की, आवंटन शर्तो की भी पालना नहीं हुई। उद्‌घोषणा जारी नहीं हुई, कोरम भी पूरा नहीं था। आवंटन फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है। प्रकरण में आवंटी द्वारा बिन्दूवार खण्डन का जवाब पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने व साक्ष्य सबूत का विवेचन करने के बाद अपने निर्णय दिनांक 31–12–2014 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए विपक्षी आवंटी का आवंटन बहाल रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–12–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–1–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री भगवतपुरी ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 पेरोकार सरकार की और राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद चुनौति नहीं दिये जाना माना है। जबकि फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन से किये गये आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। दिनांक 17–6–1192 को आराजी नंबा 200/2 का आवंटन ही नहीं हुआ है। भूमि की किस्म मगरी है। आवंटी का पुत्र वक्त आवंटन राजकीय सेवा में था। मौके पर बने मकानों का पटवारी ने जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है, कोरम भी पूर्ण नहीं था।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि आवंटन दिनांक 17–6–1992 को किया गया है तथा आवंटन निरस्तीकरण आवेदन खातेदारी मिलने के बाद, आवंटन के 22 वर्षो बाद प्रमुखतया इस आधार पर पेश किया गया है कि अपीलान्ट का भूमि पर अतिक्रमण है। अपीलान्ट का भूमि पर वक्त आवंटन कब्जा हो, इस हेतु कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा आवंटी ने आवंटन/नियमन हेतु आवेदन किया हो ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में भूमि की किस्म मगरी है, परन्तु इस क्षैत्र में मगरी काबिल काश्त होती है अथवा की जा सकती है। अपीलान्ट का अतिक्रमी के रूप में कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है तथा आवंटन के 22 वर्षो बाद आवेदन प्रथम दृष्टया ही विशेष रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद पोषणीयता बिना दृढ़ आधारों के नहीं होती। इस प्रकरण में फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन का आधार पुत्र का राजकीय सेवामें होना बताया जा रहा है। जबकि बालिग पुत्र को परिवार का सदस्य माने जाने का कोई आधार नहीं है। आवंटन की उद्घोषणा नहीं किये जाने, कोरम पूरा नहीं होने की भी कोई साक्ष्य नहीं है। आराजी नंबर 200/2 का आवंटन 1970 के नियमों के तहत किया जाकर उनके नये आराजी नंबर 310, 320 व 321 बने है, जो आवंटन 16–6–1992 को हुआ है, जबकि दिनांक 17–6–1992 को आराजी नंबर 317, 318 इत्यादि का आवंटन पेटा भूमि का अस्थाई

आवंटन से संबंधित है अर्थात आराजी नंबर 200/2 का आवंटन दिनांक 16–6–1992 तथा दिनांक 17–6–1992 को आराजी संख्या 317,318 इत्यादि का पेटा भूमि आवंटन पृथक–पृथक कार्यवाही है, जिसे अपीलान्ट प्रार्थी भ्रमवश मिलाकर मान रहा है। आराजी नंबर 200/2 का आवंटन होकर उसका नामान्तरकरण खुलना व आवंटी के नाम दर्ज होना रेकर्ड से प्रकट है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी का आवंटन निरस्तीकरण आवेदन खारिज किये जाने में कोई प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30–12–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर